

उप निर्वाचन / आवश्यक

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) उत्तरकाशी।

पत्रांक 160 / पं०-उप निर्वाचन(11)/2017-18 दिनांक 29 नवम्बर 2017

अधिसूचना

मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या-651/रा०नि०आ०-2/2229/2017 दिनांक 28.11.2017 के क्रम में मै, डॉ० आशीष चौहान, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उत्तरकाशी जनपद में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, के रिक्त पद जो नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, पर आयोग द्वारा दिये गये उप निर्वाचन के कार्यक्रम एवं समयसारणी के अनुसार सम्पन्न कराने के निर्देश देता हूँ।

समयसारणी

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
04.12.2017 एवं 05.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	06.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	08.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	18.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	कालम-1,2,3, व 4 पर अंकित कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी/आर०ओ० तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी/ए०आर०ओ० के समक्ष नामांकन की कार्यवाही समय सारणी के अनुसार क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर सम्पन्न की जायेगी। कालम-5 पर अंकित मतदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निर्धारित स्थल पर तथा कालम-6 पर अंकित मतगणना विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न की जायेगी। तदोपरान्त निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी आर०ओ० द्वारा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

रिक्त पदों का विवरण/अनुसूची

क्रम सं०	सम्बन्धित क्षेत्रपंचायतका नाम	ग्राम पंचायत / प्रा०नि०क्षे० का नाम	पद/स्थानों की स्थिति	पदों की संख्या	रिक्ति का कारण
1	डुण्डा	दुंगी, सिंगुणी, मट्टी	सदस्य ग्राम पंचायत	03	पूर्व निर्वाचन में नामांकन न होने के कारण
2	चिन्चालीसौड	जोगत तल्ला, रिखाणगांव, खदाडा	सदस्य ग्राम पंचायत	03	—"
3	नौगांव	बनास	सदस्य ग्राम पंचायत	01	मृत्यु के कारण
4	—"	चोपडा	प्रधान ग्राम पंचायत	01	—"
5	—"	प्रा०नि०क्षे० 10-माटिया	सदस्य क्षेत्र पंचायत	01	—"
6	मोरी	पवाणी, गोकुल	सदस्य ग्राम पंचायत	02	पूर्व निर्वाचन में नामांकन न होने के कारण
7	—"	ओसला	प्रधान ग्राम पंचायत	01	मृत्यु के कारण
8	—"	प्रा०नि०क्षे० 01-लिवाडी	सदस्य क्षेत्र पंचायत	01	—"
कुल					13

(Handwritten Signature)
A.D.H.O.

कृपया:- 2

//2//

2. निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों की सूची सलग्न करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का विवरण देते हुए अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व सूचनालेख शीघ्र प्रकाशित करायेंगे जिसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा ग्रामवासियों की जानकारी हेतु प्रचार प्रसार करायेंगे।
3. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है।
4. रिक्त पदों/स्थानों से सम्बन्धित क्षेत्र में आयोग द्वारा दी गई संलग्न विज्ञापित संख्या-653/रा0नि0आ0-2/ 2229/2017 दिनांक 28.11.2017 के अनुसार आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मतगणना समाप्ति तक सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रभावी की गयी है।


(डॉ0 आशीष चौहान,)
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) उत्तरकाशी।

संख्या-160 /पं0-उप निर्वाचन(11)/2017

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) क्षेत्र पंचायत, डुण्डा, चिन्यालीसौड, नौगांव, मोरी।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी क्षेत्र पंचायत, डुण्डा, चिन्यालीसौड, नौगांव, मोरी।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी।
- 4- उपजिलाधिकारी, डुण्डा, बड़कोट, पुरोला।
- 5- जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी को इस आशय से कि उक्त सूचना जनहित की सूचना होने के कारण सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायेंगे।
- 6- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्रकाशनार्थ।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) उत्तरकाशी।
- 8- अपर निर्देशक राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को सरकारी गजट से प्रकाशनार्थ।
- 9- पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी।
- 10- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
- 12- मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।


जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) उत्तरकाशी।